


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

मुकदमा नं. .... सन्. ....  
 मुकदमा नं. .... सन्. ....  
 मुकदमा नं. .... सन्. ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9 23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील गार्गी उपरो                      पत्रावली के विपरीत की विधिवत                      तामील के आवपत्र कोर्ट उपरो की। कतः                      एक परीक्षा कार्यवाही कतल से लानी गयी                      है। वकील गार्गी की वक्त सुनी गयी                      कतः पत्रावली स्वीकार की गयी है।                      निर्दिष्ट प्रत्येक से लिखवाकर गत।                      पत्रावली फंसल कतल के कत                      तामील से कत है।</p> 	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 203/2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- सत्यनारायण पिता गोकल खाती निवासी मूशी तहसील बनेड़ा

-प्रार्थी

बनाम

- 1- हंजा पत्नी माना गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 2- गोपाल पिता लुम्बा गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 3- गोरी लाल पिता लुम्बा गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 4- नारायण पिता सुखा गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 5- भैरु पिता मांगी लाल गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 6- लाल चन्द पिता भंवर लाल बांगड़ निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 7- रामपाल पिता नाथु खारोल निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 8- गोपी पिता मांगु खारोल निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 9- देबी पिता लादु खटीक, निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 10- बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा।
- 11- तहसीलदार बनेड़ा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
अधिवक्ता प्रार्थी:- कृष्ण कुमार जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 13/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 597 के आराजी नम्बर 1164., 1340, 1523, 1597, 2117, 2118 2393, 2455 कुल कित्ता 8 रकबा 3.0352 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 597 के आराजी नम्बर 1164., 1340, 1523, 1597, 2117, 2118 2393, 2455 कुल कित्ता 8 रकबा 3.0352 है० भूमि प्रार्थी के नाम



दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 597 के आराजी नम्बर 1164, 1340, 1523, 1597, 2117, 2118 2393, 2455 कुल किता 8 रकबा 3.0352 है 0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने के लिये भूअ0निरीक्षक उपरेड़ा को 1200/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तागिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगद्दी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगद्दी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगद्दी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगद्दी कार्य नही किया जावे। अतः भूअ0निरीक्षक उपरेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगद्दी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगद्दी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-09-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(नेहा शीपा)  
उपसुपड अधिकारी  
बनेड़ा जिला शाहपुरा